न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
पीठासीन अधिकारी मुरारी लाल शर्मा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 184/2016

1. भंवर सिंह
2. ओमप्रकाश
3. विजेन्द्र पुत्रान स्व रामलाल जाति दरोगा निवासीगण ग्राम देवीपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं। – आवेदकगण

1. गोपाल
2. बजरंग पुत्रान स्व रामलाल जाति दरोगा निवासीगण ग्राम देवीपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं।
3. भंवरी पत्नी ईश्वर सिंह
4. ईशवर सिंह पुत्र गणेश सिंह जाति दरोगा निवासीगण दौलतपुरा तहसील व जिला सीकर।
5. ओमप्रकाश पुत्र भूराराम जाति स्वामी निवासी लोहार्गल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं।
6. धापू देवी पत्नी श्री भींवाराम जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं।

–अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अं.धारा 212 रा.का.अ. व अन्तर्गत आर्डर 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सी.पी.सी

वकील आवेदक – श्री विजेन्द्र सिंह दूत

निर्णय

निर्णय दिनांक 24.02.2020

आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में नई खाता संख्या 281 की कृषि भूमि ख.न. 1310 रकबा 0.0200हैक्टर, ख.न. 1311 रकबा 0.0800 हैक्टर, ख.न. 1602/1313 रकबा 7.3100 है0 कुल रकबा 7.1400है0 स्थित है। जो आवेदकगण व अनावेदकगण की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि है। प्रश्गत कृषि भूमि स्व. रामलाल के वारीसान आवेदकगण व अनावेदकगण नं. 01 व 02 एवं पत्नी यशोदा की संयुक्त खातेदारी व स्वामित्व की सम्पति है, लेकिन आवेदकगण व आवेदकगण सं. 1 व 2 की माताजी यशोदा का स्वर्गवास हो गया है। इसलिए प्रश्नगत कृषि भूमि में आवेदकगण व अनावेदकगण सं. 1 व 2 का बराबर–बराबर 1/5–1/5 हक हिस्सा रहा है। इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज रही है तथा प्रश्नगत कृषि भूमि आवेदकगण व अनावेदकगण सं. 1 व 2 की शामलाती हक अधिकार की अविभाजित कृषि भूमि है जिसका अभितक विधिवतरूप से खाता विभाजन नही हुआ है, केवल आवेदकगण व अनावेदकगण सं. 1 व 2 ने फैमेली सैटलमेन्ट के मुताबिक अन्दाजन से आपसी सहमति से बाहमी बंटवारा करके हिस्से अनुसार अलग – अलग कब्जा काश्त कर रखा है और काबिज व आबाद है एवं उपयोग – उपभोग करते है। लेकिन अनावेदकगण सं. 1 व 2 की नियत में खोट पैदा हो गया। इसलिए शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की प्रश्नगत कृषि भूमि का विधिवत विभाजन करवाने से पूर्व ही निश्चित भू–भाग विकय करने की कुचेष्ठा में लग गये। जबकि शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि का विधिवत विभाजन करवाने से पूर्व विकय व हस्तान्तरण करने का कानून में कोई प्रावधान नही है लेकिन इसके बावजूद भी अनावेदक सं. 1 ने अपने हिस्से की प्रश्नगत कृषि भूमि में से रकबा 0.5500है. भूमि अनावेदकगण को विकय की है और अनावेदक सं. 2 ने अपने हिस्से की प्रश्नगत कृषि भूमि में से रकबा 0.4400है. भूमि अनावेदक सं. 3 को एवं रकबा 0.4400है. भूमि अनावेदक सं0 4 को व रकबा 0.1100है. भूमि अनावेदक सं. 5 को विकय की है। इसलिए प्रश्नगत कृषि भूमि में आवेदकगण का 3/5 हिस्सा(यानी प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा है) और 1/5 हिस्सा अनावेदक सं. 1 व 6 का एवं 1/5 हिस्सा अनावेदकगण सं. 2 से 5 का है। इसी प्रकार से हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज और कब्जा काश्त है। लेकिन प्रश्नगत कृषि भूमि शामलाती खातेदारी में दर्ज रहने से आवेदकगण अपने हिस्से की भूमि का विकास नही कर पाते है और अपने

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार की राजकीय सहायता प्राप्त नही कर पाते है तथा भविष्य में चलकर कभी भी कब्जे काश्त व हिस्से को लेकर विवाद पैदा हो सकता है। इसलिए प्रश्नगत कृषि भूमि का विविधवत खाता विभाजन किया जाकर हिस्से व कब्जे काश्त के मुताबिक सही नाप–जोख किया जाकर अलग–अलग खातेदारी दर्ज की जावे और अलग–अलग लगान कायम किया जाकर पास बुक जारी की जावें। प्रश्नगत कृषि भूमि में ख.न. 1602/1313/7.1300है. में आवेदकगण का कुल 3/5 हिस्सा(यानी प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा)है और अनावेदकगण सं. 1 व 6 का 1/5 हिस्सा (यानी अनावेदक सं. 1 का हिस्सा रकबा 0.6683है. एवं अनावेदक सं. 6 का हिस्सा रकबा 0.5500है.) है और अनावेदक सं. 2 लगायत 5 का 1/5 हिस्सा(यानी अनावेदक सं. 2 का हिस्सा रकबा 0.2283है. व अनावेदक सं. 3 का हिस्सा रकबा 0.4400है. व अनावेदक सं. 4 का हिस्सा रकबा 0.4400है व अनावदेक सं. 05 का हिस्सा रकबा 0.1100है.)है। प्रश्नगत कृषि भूमि ख.न. 1310 रकबा 0.0200है. पेयजल टयूबवैल मय विद्युत संबंध एवं ख.न. 1311 रकबा 0.0800है. शामलाती ढाणी(घर) में आवेदकगण व अनावेदकगण सं. 1 व 2 का बराबर–बराबर 1/5–1/5 हक हिस्सा है जिसका खाता आवेदकगण व अनावेदकगण सं. 1 व 2 के नाम संयुक्तरूप से दर्ज किया जावे।उक्त शामलाती चाह मय विद्युत संबंध व ढाणी(घर) में अनावेदकगण सं. 3 लगायत 6 का कोई हक हिस्सा नही है । अनावेदकगण सं. 1 व 2 के मन में बेईमानी पैदा हो गई है। इसलिए अनावेदकगण सं. 1 व 2 ने पूर्व में भी प्रश्नगत कृषि भूमि का विधिवत विभाजन करवाने से पूर्व कुछ भूमि अनावेदकगण सं. 3 लगायत 6 को विकय की है तथा अब भी अनावेदकगण सं. 1 लगायत 6 प्रश्नगत कृषि भूमि का निश्चित भू–भाग किसी अजनबी व्यक्ति को विभाजन से पूर्व विकय करके खुर्द–बुर्द करने के लिए आमादा है जिसको कानूनीरूप से कोई हक अधिकार व सरोकार नही है। अनावेदकगण आवेदकगण को प्रश्नगत कृषि भूमि में उनके हिस्से की कृषि भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा व अवरोध पैदा कर रहे है प्रश्नगत कृषि भूमि के निश्चित भाग पर निर्माण कार्य करके अकृषि प्रयोग करके जबरन कब्जा करने की कुचेष्ठा में लगे हुये है जो कानूनीरूप से कतई गलत व बेबुनियाद है तथा अनावेदकगण ने दिनांक 27.09.2016 को धमकी भी दी है कि हम 5–10 रोज में ही प्रश्नगत कृषि भूमि का कुछ भाग किसी अजनबी व्यक्ति को विकय करके विकय पत्र तस्दीक करवायेगे। जिसके लिए अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर रोका जाना निहायत जरूरी व आवश्यक है। प्रश्नगत कृषि भूमि ख.न. 1310 शामलाती चाह मय विद्युत संबंध का आवेदकगण व अनावेदकगण सं. 1 व 2 हिस्से अनुसार उपयोग–उपभोग करते है और हिस्से अनुसार पानी लेकर भूमि की सिंचाई करते है और भूमि ख.न. 1311 में स्थित ढाणी(घर) आवेदकगण व अनावेदकगण सं. 1 व 2 की शामलाती है जिसमें आवेदकगण व अनावेदकगण सं. 1 व 2 काबिज व आबाद है जिसको शामलाती दर्ज किया जावें। अनावेदकगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रश्नगत कृषि भूमि ख.न. 1310 रकबा 0.0200है. ख.न. 1311 रकबा 0.0800है., ख.न. 1602/1313 रकबा 7.3100है. कुल रकबा 7.4100है. में आवेदकगण का कुल हिस्सा 3/5(यानी प्रत्येक का 1/5–1/5 हक हिस्सा) के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा व अवरोध पैदा नही करें तथा न ही अपने आदमियों से पैदा करवाये और शामलाती चाह मय विद्युत संबंध से पानी लेने व सिंचाई करने में कोई अवरोध पैदा नहीं करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदकगण की गई। अनावेदकगण 1 लगायत 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अनावेदकगण नं. 6 की ओर से श्री अशोक कुमार जागिड एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। लेकिन उनके द्वारा जवाब पेश नही किया गया। तत्पश्चात उनके अनुपस्थित रहने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र निर्णित किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दूओं को देखा जाना है।

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रकरण में ग्राम देवीपुरा की जमाबंदी संवत 2068–2071 के भूमि ख.न. 1310/0.02, 1311/0.0800, 1602/1313/7.3100 किता 3 कुल रकबा 7.41है. की शामलाती भूमि में आवेदकगण सं. 1 लगायत 3 व अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 06 शामलाती खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। अतः प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण आवेदक के पक्ष में है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

2. **सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति** :– चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण आवेदक के पक्ष में होने से सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में जाता है। प्रकरण का मूलदावा न्यायालय में विचाराधीन है तथा मूल दावा का निर्णय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, सबूदात के आधार पर मेरिट से होना है। वादग्रस्त भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक वाद बहुलता न बढे इस कारण अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित पाता हूं। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से अनावेदक को पाबन्द नही किया गया तो आवेदक को अपूर्णीय क्षति संभावित है। इस प्रकार आवेदक का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाता हूँ।

अतः अनावेदकगण 1 लगायत 6 को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा न. 1310 रकबा 0.0200है0, खसरा नं. 1311 रकबा 0.0800है, खसरा नम्बर 1602/1313 रकबा 7.3100है. के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा न्यायालय आदेश दिनांक 29.09.2016 अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को पुष्ट (कन्फर्म) किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूल दावा के सलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.03.20 11:48:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: